



// कार्यालय-आदेश //

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित स्नातक, परास्नातक एवं स्वावित्तपोषित (बी0टेक) पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के वर्तमान शैक्षिक सत्र में लम्बित प्रकरण व आगामी शैक्षिक सत्र से निरन्तर अनुपालन हेतु शुल्क वापसी से सम्बन्धित समितियों का गठन सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त निम्नवत् किया जाता है:-

स्नातक स्तर शुल्क वापसी हेतु गठित समिति का विवरण:-

1.	अधिष्ठाता छात्र कल्याण (DSW)	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता	वरिष्ठ सदस्य
3.	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
4.	सहायक कुलसचिव, शैक्षिक	सदस्य सचिव

परास्नातक स्तर शुल्क वापसी हेतु गठित समिति का विवरण:-

1.	अधिष्ठाता छात्र कल्याण (DSW)	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता	सदस्य
3.	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
4.	सहायक कुलसचिव, शैक्षिक	सदस्य सचिव

स्वावित्तपोषित पाठ्यक्रम (बी0टेक) शुल्क वापसी हेतु गठित समिति का विवरण:-

1.	अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण (DSW)	अध्यक्ष
2.	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
3.	निदेशक	सदस्य
4.	सहायक कुलसचिव, शैक्षिक	सदस्य सचिव

उपरोक्त तालिकानुसार गठित समितियों से अपेक्षा की जाती है कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के शुल्क वापसी से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार संस्तुति उपरान्त निक्षेपित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य हेतु गठित समितियों को अन्य कोई अतिरिक्त मानदेय देय नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक-2465/पत्रा0सं0-179(IIIInd)/DSMNRU/शुल्कनिर्धारण/2019-20/दिनांक: 30 जनवरी, 2020
प्रतिलिपि :-

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
5. समितियों के नामित समस्त सदस्यगण को अनुपालनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव